राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 748/2023

ओम प्रकाश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, करौली।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अमनपुरा, ब्लॉक एवं जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 5400 (पे मैट्रिक्स लेवल 13) दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमनपुरा, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.1995 प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीबीपुर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 26.04.1995 के द्वारा उसे जिला सीकर पदस्थापित किया गया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 की पालना में आदेश दिनांक 29.09.1997 एवं 03.10.1997 के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.10.1997 के द्वारा समायोजन

कर अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमीरपुरा किया गया, तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2004 में बीएसटीसी योग्यता अर्जित की और वेतनमान 4500–7000 में उसे राजस्थान वेतनमान नियम, 1996 के तहत आदेश दिनांक 02.09.2005 के द्वारा निर्धारित किया गया। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 30.07.2005 से वेतनमान 5000–8000 दिया गया और राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निधारण वेतनमान) नियम, 2008 के तहत अपीलार्थी को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 3200 आदेश दिनांक 12.11.2008 के तहत दिया गया और द्वितीय चयनित वेतनमान उसे दिनांक 03.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे 4800 आदेश दिनांक 13.01.2016 के द्वारा दिया गया। आदेश दिनांक 24.03.2018 के द्वारा अपीलार्थी को ग्रेड 5400 में वेतनमान निर्धारण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देने से रोक दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 5400 (पे मैट्रिक्स लेवल 13) दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान किए जाने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और अध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध पातेय वेतन एवं वेतन श्रृंखला में अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। वित्तीय सलाहकार कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 30.05.2019 के अनुसार वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के बिंदु संख्या 7ii के प्रावधानों के अंतर्गत देने का प्रावधान है। यदि किसी समायोजित कार्मिक की बीएड. एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 18 वर्षीय एसीपी देयता तिथि से पूर्व तिथि को वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हो जाती है, उन मामलों में वित्त विभाग के पत्रांक दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अंतर्गत 18 वर्षीय एसीपी पर आगामी ग्रेड पे स्वीकृत की जाकर 27 वर्षीय एसीपी पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 एवं 30.10.2017 के एसीपी के प्रावधानों के अंतर्गत 5400 ग्रेड पे/

लेवल 13 में एसीपी देय है। अपीलार्थी के 18 वर्षीय एसीपी देयता तिथि 30.07.2013 से पूर्व एवं वर्तमान तक वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति नहीं हुई है। इसलिए उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.1995 प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 29.07.1997 एवं 03.10.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किया गया है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील एतद्द्वारा स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) लाभ देकर फिक्सेशन किये जाने पर विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य